संख्या– 545 /वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

के0सी0मिश्र
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार),
जिला पंचायत, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून :: दिनांक :: 17 जुलाई, 2004

विषयः– राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को द्वितीय तीन माह हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त 13 जिला पंचायतों को संलग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 (द्वितीय तिमाही) हेतु रू0 11145000.00/– (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:–

I– शासनादेश संख्याः–2534/रा0वि0आ0/वि0अनु0–1/2003 दिनांक 26 दिसम्बर,2003 के अनुसार 30 प्रतिशत धनराशि रोक कर शेष 70 प्रतिशत धनराशि को चार बराबर किश्तों में आवंटित किया जायेगा।

II– रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशी पंचायतों के वित्तीय कार्य निष्पादन तथा प्रजातांत्रिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के बाद प्रतिवेदन के अन्तर्गत निर्गत उक्त शासनादेश के अनुसार निर्गत किया जायेगा।

III- संक्रमित की जा रही धनराशि जिला पंचायतों के सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त आहरित की जायेगी।

IV- संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा जैसा कि मानक निर्देशों में है।

V- संक्रमित की जा रही धनराशि के अग्रिम आदेशों तक वेतन एवं भत्तों पर व्यय नहीं किया जायेगा।

VI- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल जिला पंचायतों को संक्रमित धनराशियों की नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे और इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तरांचल शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के बाद उपलब्ध कराया जायेगा।

4–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 02–पंचायती राज संस्थायें –196 जिला पंचायत परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान /अंशदान /राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)

संख्या– 545 (1)/वि0अनु0–1/2004 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल।
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज उत्तरांचल शासन।
4– निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)।

शासनादेश संख्याः– 545 /वि0अनु0–1/2004 दिनांक 7 जुलाई, 2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)

क्र0सं0	जिला पंचायत	प्रथम किश्त हेतु आवंटित धनराशि
1	2	3
1	उत्तरकाशी	665
2	चमोली	895
3	रुद्रप्रयाग	472
4	टिहरी गढ़वाल	956
5	देहरादून	843
6	पौड़ी गढ़वाल	1274
7	पिथौरागढ़	853
8	चम्पावत	336
9	अल्मोड़ा	1009
10	बागेश्वर	592
11	नैनीताल	690
12	ऊधमसिंह नगर	1164
13	हरिद्वार	1398
		11145

(रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।
उत्तरांचल शासन।